

जब्ती पत्र

थाना- एसीबी0/इओडब्ल्यू रायपुर
अप0क्र0- 0/2015

इकाई- एसीबी0 रायपुर, जिला- रायपुर
धारा- 13(1) 13(2) पी0सी0एक्ट 1988

नाम संपत्ति मालिक - नीलम कुशवाह पति देवेन्द्र कुशवाह उम्र 60 वर्ष
109 निवासी त्रिमूर्ति चौक रायपुर
स्थायी पता - हीरापुरा लहार स्टेट जिला लहार म.
जब्ती का स्थान - 109 निवासी त्रिमूर्ति चौक सुंदर नगर रायपुर
किससे जब्त किया गया - नीलम कुशवाह नीलम कुशवाह पति देवेन्द्र
कुशवाह उम्र 60 वर्ष 109 निवासी त्रिमूर्ति चौक
रायपुर

दिनांक व समय - 12.02.2015 के 22.20 बजे

नाम पंचसाक्षी जिसके समक्ष जब्त किया गया

- 1/चित्रसेन चन्द्रकार पिता कोप सिंह चन्द्रकार उम्र 53 वर्ष व्याख्याता उच्च मा.वि.पुरेना
भिलाई जिला दुर्ग
- 2/वीरेन्द्र कुमार वर्मा पिता गोविन्द कुमार वर्मा उम्र 51 वर्ष व्याख्याता उच्च मा.वि.पुरेना
भिलाई जिला दुर्ग

विवरण-

आज दिनांक 12.02.2015 को नीलम कुशवाह पति देवेन्द्र सिंह कुशवाह उम्र 60 साल की घर की तलाशी ली गई। उनके बैडरूम से मिली रकम जिसे जब्त किया गया।

क्र.	जब्त राशि	कीमत
1	नकदी रुपये 1000 के 145 नोट	1,45,000/-
2	नकदी रुपये 500 के 810 नोट	4,05,000/-
3	नकदी रुपये 100 के 100	10,000/-
	कुल नकदी रकम	5,60,000/-

उपरोक्त नगदी रकम वजह सबूत में जब्त किया गया।

हस्ताक्षर पंचगवाहान

हस्ताक्षर जिससे जब्ती हुई
नीलम कुशवाह

हस्ताक्षर विवेचक

निरिक्षक (एस.डी.देवस्थली)
इ.ओ.डब्ल्यू/ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)